

राजस्थान सरकार
 पीठासीन उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प

आदेश

प्राची के "खाता दुल्हती" प्रार्थना पत्र पटवारी वि.डी.ए.
 व धू.अ.नि. वि.डी.ए. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार वि.डी.ए.
 /नाथब तहसीलदार वि.डी.ए. की अनुज्ञांसा के आधार पर राजस्थान धू-राजस्व अधिनियम
 1956 की धारा 136 के अनुसार ग्राम रि.डी.ए. तहसील वि.डी.ए. व
 जिला अजमेर की जमाबन्दी संख्या 2067-70 में खाता संख्या 75
 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>रि.डी.ए.</u>	<u>75</u>	<u>देवदार पुत्र ताराचन्द कोम खाएण !</u>	<u>देवदार पुत्र देवन्द कुमार कोम खाएण !</u>

[Signature]
 पीठासीन अधिकारी एवं आदेशकारी
 लोक अदालत एवं
 उपखण्ड अधिकारी एवं अधिकारी
 पदेन सहा. कलक्टर

दिनांक :- 21-1-22

क्रमांक :- 139

प्रतिनिधि :-

1. तहसीलदार वि.डी.ए. को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामदा शीघ्र
 किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्राची श्री वि.डी.ए. को सूचनाएं।
3. रक्षित पत्रावली

[Signature]
 पीठासीन अधिकारी एवं आदेशकारी
 लोक अदालत एवं
 उपखण्ड अधिकारी एवं अधिकारी
 पदेन सहा. कलक्टर

